


फर्द अहकाम  
अज अदालत -जिला कलक्टर,-मुकाम -भरतपुर  
शकुन्तला देवी बनाम लोक सूचना अधिकारी,  
किस्म मुकदमा-अपील आर.टी.आई. नम्बर ०५५ सन् २०२५

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही इनिशयल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो हुकम की तामील में जारी हुए
5.1.202५	<p>सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत अपीलान्त श्रीमती शकुन्तला देवी पत्नी बनयसिंह ग्राम व पो0 फुलवारा तहसील व जिला भरतपुर की अपील लोक सूचना अधिकारी लोक सूचना अधिकारी कलेक्टर भरतपुर के खिलाफ प्राप्त हुई है। अपील दर्ज रजिस्टर हो। प्राप्त अपील का अवलोकन किया गया। अपीलार्थी ने अपील के साथ सूचना का अधिकार नियम 6 के तहत प्रार्थना पत्रों की फोटो प्रति सलग्न नहीं की गई है। सूचना का अधिकार नियम 6 के तहत दस्तावेज सलग्न कर भिजवाये जाने आवश्यक हैं। अतः अपीलार्थी को प्राप्त मूल अपील को लोटाते हुये दस्तावेजात सलग्न कर पुनः अपील प्रस्तुत करने हेतु लिखा जावे। पत्रावली फैसल शुमार हो बाद कार्यवाही दाखिल दफतर हो।</p> <p style="text-align: center;"> जिला कलक्टर भरतपुर</p>	<p>75 ०७/०५/२५ हुकम अपील वापिस की</p>